आत्मनिर्भर वनांचलों से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

ग्राम वन समिति

सूक्ष्म प्रबंधन योजना क्रियान्वयन

वन मण्डल सीधी

आनंद कुमार सिंह
ANAND KUMAR SINGH, IFS

मुख्य वन संरक्षक, रीवा संभाग
वन विभाग, मध्य प्रदेश
CCF, REWA
FOREST DEPARTMENT, M.P.

संदेश

वनों का खयाल आते ही मन में एक सुकून सा महसूस होता है। आंखें बन्द करके कल्पना करें तो दिखता है, घनी आबादी से दूर पहाड़ों पर बड़े–बड़े हरे–भरे वृक्ष, विशाल घास के मैदान, उनके बीच में कल–कल बहती नदियां, पहाड़ों से गिरते झरने, विभिन्न प्रकार की चिड़ियों की चहचहाहट, वन्यजीवों की दूर से आती आवाजें और पहाड़ी के नीचे इन खूबसूरत वादियों में बसा एक छोटा सा खुशहाल गांव, जिसकी सभी जरूरतें वनों, नदियों एवं झरनों से ही पूरी हो जाती हैं। न शहर जैसी भागदौड़, न शहर जैसा दूषित वातावरण, न कोई ईर्ष्या, न द्वेष। निश्छल भाव से अपने में मस्त एवं जीवन से संतुष्ट ये लोग, बरबस सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। शायद हम ऐसे ही वन एवं उसके आसपास के जीवन की कल्पना करते हैं।

वन मण्डल सीधी के अन्तर्गत वनों के आसपास रहने वाले ग्रामवासियों के द्वारा इसी कल्पना को साकार करते हुए वन मण्डल के वनक्षेत्र को वनस्पति से आच्छादित करने का अप्रतिम प्रयास विगत 10–15 वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। विगत वर्ष 2020–21 से उक्त प्रयास के परिणाम का आंकलन कर नवीन सूक्ष्म प्रबन्ध योजना निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें वनों की उत्पादकता में वृद्धि करते हुए, उससे प्राप्त होने वाली वनोपज का विवेकपूर्ण उपयोग या बंटवारे का प्रावधान रखा गया है, जिससे वनों में जहां एक ओर जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्द्धन हुआ है, वहीं स्थानीय समुदाय की वनाधारित आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अकाष्ठीय वनोपज के प्रबन्धन से स्थानीय रोजगार का सृजन संभव हुआ है। क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि एवं ग्राम के आस पास एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हुआ है।

वनमण्डल सीधी के ग्रामवासियों के साथ साथ उक्त कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए क्षेत्रीय वनकर्मचारी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने तत्कालीन वनमण्डल अधिकारियों के मार्गदर्शन में उक्त कल्पना को साकार रूप प्रदान किया है।

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2021

आनंद कुमार सिंह

क्षितिज कुमार
KSHITIJ KUMAR, IFS

वन मंडल अधिकारी, सीधी
वन विभाग, मध्य प्रदेश
DFO, SIDHI
FOREST DEPARTMENT, M.P.

संदेश

मध्य प्रदेश में ग्राम वन समितियों का वन संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । जैविक दबाव पर काबू पाने व नए वृक्षारोपण के रखरखाव पश्चात सीधी जिले की अधिकतर समितियों को आवंटित बिगड़े वनक्षेत्र का पुनर्वनिकरण हो चुका है । इस वर्ष अपने जंगलों के पुनर्स्थापन से हुए लाभ को समितियों ने वनोपज के रूप में प्राप्त किया है ।

वैज्ञानिक वानिकी के सिद्धांतों पर आधारित सूक्ष्म प्रबंधन योजना के निर्माण व योजना अनुसार संवहनीय विदोहन के क्रियान्वयन में सीधी के वर्तमान व पूर्व के सभी वन कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

मुझे यकीन है कि वनोपज की सतत उपलब्धता से समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के साझा लक्ष्य की ओर बढ़ाये गए कदमों को संधारित करने के इस प्रयास से वनों व ग्रामवासियों को हुए पारस्परिक लाभ का संदेश जाएगा।

क्षितिज कुमार

प्रस्तावना

राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय जनता का सहयोग लेने का उल्लेख वर्ष 1988 में किया गया। वन नीति के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने 1 जून 1990 को सभी राज्यों को निर्देश जारी किए कि वनों में एवं वनों के आसपास रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य ग्रामीणों का वन उत्पादों पर प्रथम अधिकार माना जाएगा।

मध्य प्रदेश ने इस दिशा में पहल करते हुए दिसंबर 1991 में ही वन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में जन सहयोग की शुरुआत एक संकल्प के साथ की। वन सुरक्षा समिति, ग्राम वन समिति व इको विकास समिति के गठन से जन भागीदारी व संयुक्त वन प्रबंधन को संस्थागत कर प्रदेश के वन क्षेत्रों को 3 भाग में विभक्त किया :

1. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण में सम्मलित वन क्षेत्र : ऐसे क्षेत्रों की बाहरी सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में इको विकास समिति गठित की गई।
2. अन्य सघन वन क्षेत्रों में वनखण्ड सीमा से 5 km दूरी तक के ग्रामों में वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया।
3. जैविक दबाव के कारण विरल वन, जिनका पुनर्वनीकरण/पुनर्स्थापन किया जाना आवश्यक है, ऐसे क्षेत्रों में ग्राम वन समिति का गठन किया गया।

सूक्ष्म प्रबंधन योजना

वन क्षेत्र के सुधार में स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से गरीबों की आजीविका से जुड़े हित निहित हैं। ह्रास के कारकों को रोकने एवं वन के संवहनीय प्रबंधन करने में स्थानीय समुदाय की केंद्रीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ग्राम वन समिति को आवंटित वन क्षेत्र की सूक्ष्म प्रबंधन योजना बनाई गई। आवंटित वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के आधार पर प्रबंधन योजना में सफाई एवं विरलन कार्य समिति द्वारा संपादित किया गया, तथा इस विरलन से प्राप्त समस्त वनोपज पर समिति को अधिकार दिया गया।

इस पुस्तिका में वन मण्डल सीधी में संयुक्त वन प्रबंधन से वनक्षेत्र के पुनर्वनिकरण तथा सूक्ष्म प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन से ग्राम वन समिति को मिले लाभ को आलेख करने का प्रयास किया गया है।

सूक्ष्म प्रबंधन योजना क्रियान्वयन

दिनांक : December 2012 स्त्रोत : Google Earth कक्ष : P932

दिनांक : November 2017 स्त्रोत : Google Earth कक्ष : P932

ग्राम वन समिति, अमडिहा

आवंटित कक्ष : P 932
कुल रकबा : 296 Ha

समिति को आवंटित वन भूमि पूर्व में 0.2 से 0.4 घनत्व की नग्न पहाड़ी होकर कार्य आयोजना में बिगड़े वनों के सुधार कार्यवृत्त में सम्मिलित था। शासन विभिन्न योजनाओं में 260.000 है. रिक्त वन भूमि में विभिन्न प्रजातियों के कुल 4,93,000 पौधों का रोपण किया गया।

वन सुरक्षा कार्य तथा वृक्षारोपण कार्यो में समिति द्वारा वन अमले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सतत् रूप कार्य किया गया। आज की स्थिति में समिति को आवंटित सम्पूर्ण वन भूमि सघन सागौन वनो से अच्छादित हो गई है। **आत्मनिर्भर भारत अभियान** के तहत समिति का माइक्रोप्लान तैयार किया गया है, इससे समिति को कुल **48,600** नग सागौन बल्लियां प्राप्त होगी।

समिति द्वारा बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया है कि माइक्रोप्लान क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाली बल्लियों को वे निजी उपयोग न लेकर उससे टाल की स्थापना करेगें जिससे वन समिति को सतत् रूप से आय प्राप्त होगी तथा समिति सदस्यों को कम दरों पर सेन्टरिंग सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इस प्राकार प्राप्त होने वाली आय से वन सुरक्षा के साथ–साथ अन्य आस्थामूलक कार्य समिति द्वारा सम्पादित करने की योजना बनाई गई। माइक्रोप्लान क्रियान्वयन प्रारम्भ करने के पूर्व के वर्षो में समिति द्वारा सामूहिक रूप से निस्तारी जलाउ, छोटी काष्ठ आदि को संवहनीय रूप से प्राप्त किया जाता रहा है।

4 लाख

वर्तमान वर्ष में समिति की आय

20 लाख

प्रबंधन योजना अनुसार अगले 5 वर्षों की अनुमानित आय

फोटो में : माइक्रोप्लान अनुसार विदोहन से प्राप्त बल्लियां
(ग्राम वन समिति अमडिहा के सदस्यों के साथ CF **श्री राजेश राय** व परिक्षेत्र अधिकारी बहरी **श्री पंकज चौहान**)

ग्राम वन समिति अमडिहा के सदस्यों के साथ APCCF **श्री आलोक दास,** CCF Rewa **श्री आनंद कुमार सिंह**, DFO सीधी **श्री क्षितिज कुमार** व प्रशिक्षु भा.व.से अधिकारी **श्री मयंक सिंह गुर्जर**

वन समिति बम्हनमरा के सदस्यों को सूक्ष्म प्रबंधन योजना की जानकारी देते वन मंडल अधिकारी सीधी **श्री क्षितिज कुमार**

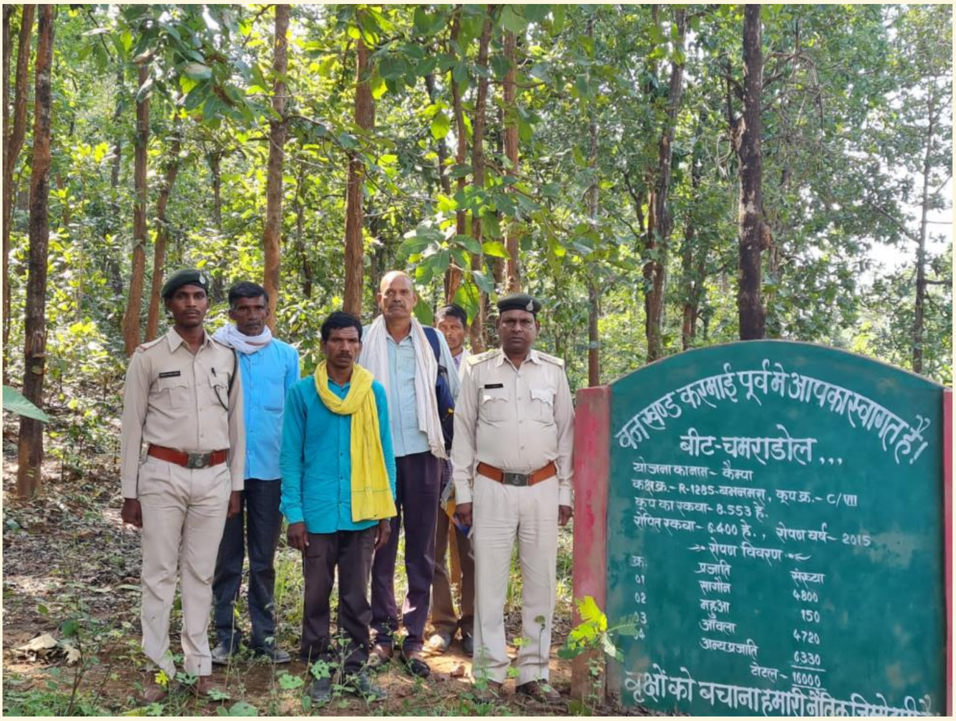

समिति सदस्यों के साथ वन परिक्षेत्र अधिकारी **श्री प्रेमलाल वंशकार** व वन रक्षक चमराडोल **श्री दीपक पनिका**

ग्राम वन समिति, बम्हनमरा

आवंटित कक्ष : R 1285
कुल रकबा : 62 Ha

समिति गठन के समय आवंटित वन क्षेत्र विगड़ा वन क्षेत्र था जिसका औसत घनत्व 0.3 था। वर्तमान में **औसत वन घनतव 0.6** से अधिक हो गया है। वन अमले के तकनीकी मार्गदर्शन में समिति द्वारा सतत् रूप से अवैध कटाई, अवैध चराई तथा दावा नल एवं अतिक्रमण से वनो की सुरक्षा के साथ–साथ वन विकास का कार्य किया गया। वन समिति द्वारा 6.4 है. उपयुक्त वन क्षेत्र में मिश्रित वृक्षारोपण किया गया जिसमें सागौन, दहिमन, आवला आदि प्रजातियों कुल 16000 पौधे लगाये गये।

समिति को आंवटित वन क्षेत्र में महुआ, अचार तथा साल एवं धवा प्रजातियों का पुनरूत्पादन काफी अच्छा हुआ है। समिति को आवंटित वन क्षेत्र में 700 से अधिक महुआ के वृक्ष भी तैयार हो गये है। समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर महुआ वृक्षों के महुआ फूल तथा गुल्ली के संग्रहण हेतु सदस्यों के बीच में बटवारा किया गया है । इससे लघुवनोपज में संवहनीय विदोहन की एक अच्छी व्यवस्था स्थापित हो गई है। जिसके कारण वन क्षेत्र में अग्नि की घटना पर नियंत्रण करने में काफी मदद मिली है। इसी का नतीजा है कि **विलुप्त हो रही अचार प्रजाति** का भी पुनरूत्पादन इस वन समिति के क्षेत्र में हुआ है । समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष अनुमानित 03 क्वि. महुआ फूल तथा 40 किलो महुआ गुल्ली प्राप्त होना आंकलित किया गया। इसके अतिरिक्त समिति सदस्य अपनी घरेलू आवयकतओं हेतु छोटी काष्ठ, जलाउ लकड़ी तथा चारे का संवहनीय विदोहन सतत् रूप से करते आ रहे है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से समिति का माइक्रोप्लान तैयार कर लागू किया जा रहा है। समिति सदस्यो द्वारा 300 नग बल्ली तथा 75 नग जलाउ चट्टों को विदोहित एवं निर्वर्तित किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । माइक्रोप्लान अन्तर्गत समिति को प्रदाय किये जाने वाली वनोपज की अनुमानित कीमत **2.43 लाख रूपये** है। समिति सदस्यो द्वारा समिति गठन से अभी तक प्रतिवर्ष अनुमानित 2,160 क्वि. चारा तथा 175 क्वि. जलाउ लकड़ी को वन क्षेत्र से प्राप्त किया जाना आकलित किया गया है।

समिति सदस्यों वन वर्धनिक विदोहन की जानकारी देते वनमंडल अधिकारी सीधी **श्री क्षितिज कुमार**

विदोहन से प्राप्त जलाऊ चट्टे की कटाई करते ग्राम बम्हनमरा के मज़दूर। सूक्ष्म प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन से स्थानीय रोज़गार की उपलब्धता बढ़ती है।

ग्राम वन समिति के सदस्यों का जंगल को सुरक्षित रखने में अहम योगदान रहा है । (फ़ोटो में : ग्राम वन समिति बम्हनमरा के सदस्य)

जन भागीदारी से सुरक्षित R 1285 का घना जंगल

दिनांक : 2012 स्त्रोत : Google Earth कक्ष : P1147

दिनांक : 2018 स्त्रोत : Google Earth कक्ष : P1147

ग्राम वन समिति, ठकुरदेवा

आवंटित कक्ष : P 1146,1147
कुल रकबा : 167 Ha

गठन के समय समिति को आवंटित वन क्षेत्र का औसत घनत्व 0.2 था तथा आंशिक भाग में गुथे हुये बांस के भिर्रे भी थे। अवंटित वन क्षेत्र वन मण्डल की कार्य आयोजना में विगड़े वन क्षेत्र कार्य वृत्त में सम्मिलित था।

समिति द्वारा गठन के समय से ही अवैध कटाई तथा चराई की रोकथाम के प्रयास के साथ–साथ वन विकास के कार्यो में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई। समिति द्वारा वर्ष 2011 से 2014 के बीच में 95.000 है. रिक्त वन भूमि में 1,29,830 पौधों का रोपण कार्य किया गया। प्रमुख रूप से सागौन तथा बांस प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। समिति सदस्यों द्वारा आवंटित वन क्षेत्र तथा वृक्षारोपणों का अवैध कटाई, अग्नि, अवैध चराई आदि से सुरक्षित रखा गया तथा वन सुरक्षा के कार्यो में वन अमले से कधे से कधा मिलाकर अथक परिश्रम किया गया जिसके फलस्वरूप वन क्षेत्र का औसत घनत्व 0.2 से बढ़कर 0.6 से अधिक हो गया है।

समिति के भूमिहीन तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 100 परिवारों द्वारा वन क्षेत्र को बचाने तथा वनावरण बढ़ाने के साथ–साथ निस्तार की आवश्यकताओं की भी पूर्ति संबाहनीय रूप से वन अमले के तकनीकी मार्गदर्शन में की गई। एक आकलन के अनुसार समिति द्वारा प्रतिवर्ष 500 क्टि0 जलाऊ लकड़ी तथा 5,400 क्वि. चारे को आवंटित वनक्षेत्र से प्राप्त किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त समिति सदस्यों द्वारा मकान निर्माण, कृषि उपराकरणों एवं अन्य घरेलू कार्यो हेतु छोटी काष्ठ, बल्ली तथा बांस भी संवहनीय रूप से वन क्षेत्र से विदोहित किया गया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तर्गत समिति का माइक्रोप्लान वर्ष 2020 में तैयार किया गया। वन समिति द्वारा वन अमले के तकनीकी मार्गदर्शन में माईक्रोप्लान का क्रियान्वन वर्ष 2021 से 2026 तक किया जाना है, इसके अन्तर्गत 3,040 नग सगौन बल्ली तथा 32,107 नग बांस का संवहनीय विदोहन एवं निर्वतन समिति द्वारा किया जा रहा है। शासन की नीति अनुसार समस्त विदोहित वनोपज, जिसकी कुल अनमानित कीमत रूपये **12.50 लाख** है, को समिति सदस्यों को प्रदाय किया जा रहा है।

ग्राम वन समिति, कोचिटा

आवंटित कक्ष : R 1014

कुल रकबा : 99 Ha

गठन के समय समिति को आवंटित वन क्षेत्र का औसत घनत्व 0.2 था तथा अवंटित वन क्षेत्र वन मण्डल की कार्य आयोजना में विगड़े वन क्षेत्र कार्य वृत्त में सम्मिलित था। समिति द्वारा वर्ष 2011 से 2014 के बीच में 90 है. रिक्त वन भूमि में 90000 पौधों का रोपण कार्य किया गया। प्रमुख रूप से सागौन तथा बांस प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया।

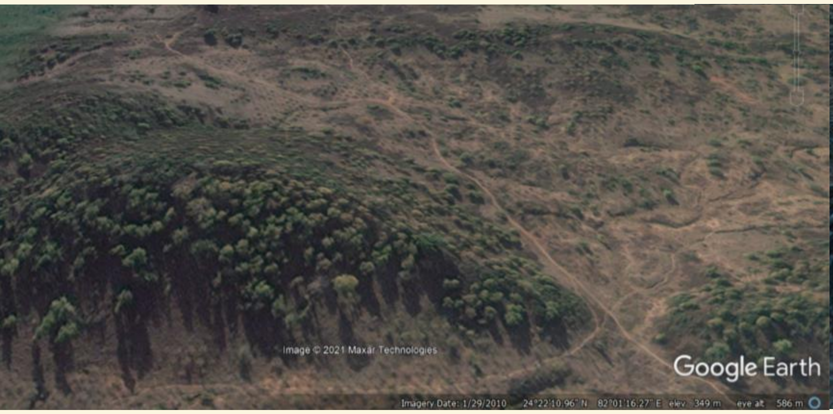

दिनांक : 2010 स्त्रोत : Google Earth कक्ष : R1014

दिनांक : 2010 स्त्रोत : Google Earth कक्ष : R1014

वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 से बढ़कर 0.5 हुआ

वन समिति द्वारा माईक्रोप्लान क्रियान्वन के अन्तर्गत 1200 नग सतकठा बल्ली का संवहनीय विदोहन एवं निर्वतन समिति द्वारा किया गया। शासन की नीति अनुसार समस्त विदोहित वनोपज, जिसकी कुल अनमानित कीमत रूपये **1.20 लाख** है, को समिति सदस्यों को प्रदाय किया जा रहा है।

ग्राम वन समिति के सदस्यों से चर्चा करते DFO **श्री क्षितिज कुमार** तथा परिक्षेत्र अधिकारी मड़वास **श्री पवन ताम्रकार**

बांस के संवहनीय विदोहन का प्रशिक्षण बम्हनमरा समिति (परिक्षेत्र मड़वास) को आवंटित वनक्षेत्र में

विदोहन पश्चात एकत्रित बांस - बेलदाह समिति (परिक्षेत्र चुरहट)

स्थानीय लोगो द्वारा समिति क्षेत्र में किया जा रहा बांस विदोहन

ग्राम वन समिति, लोहरा

आवंटित कक्ष : P 1028
कुल रकबा : 150 Ha

गठन के समय समिति में कुल 55 परिवार सम्मिलित थे, जिसमें 10 परिवार भूमिहीन तथा 12 परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। समिति को आवंटित वन क्षेत्र का औसत घनत्व 0.2 था तथा आंशिक भाग में गुथे हुये बांस के भिर्रे भी थे। अवंटित वन क्षेत्र वन मण्डल की कार्य आयोजना में विगड़े वन क्षेत्र कार्य वृत्त में सम्मिलित था।

समिति द्वारा वर्ष 2015–16 में 64.068 है. वनक्षेत्र में उपचार का कार्य कराया गया । सदस्यों तथा वन अमले के अथक परिश्रम के फलस्वरूप वन क्षेत्र का औसत घनत्व 0.2 से बढ़कर 0.6 से अधिक हो गया है।

समिति द्वारा प्रतिवर्ष 600 क्वि0 जलाऊ लकड़ी तथा 4700 क्वि. चारे को आवंटित वनक्षेत्र से प्राप्त किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त समिति सदस्यों द्वारा मकान निर्माण, कृषि उपराकरणों एवं अन्य घरेलू कार्यो हेतु छोटी काष्ठ, बल्ली तथा बांस भी संवहनीय रूप से वन क्षेत्र से विदोहित किया गया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तर्गत समिति माइक्रोप्लान से 650 नग साल सतकठा बल्ली तथा 16000 नग बांस का संवहनीय विदोहन एवं निर्वतन समिति द्वारा वर्ष 2020 में किया जाकर काष्ठागार जमोड़ी भेजा गया है। शासन की नीति अनुसार समस्त विदोहित वनोपज, जिसकी कुल अनमानित कीमत रूपये **6.20 लाख** है, समिति सदस्यों को प्रदाय किया जा रहा है।

गोशवारा

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	समिति संख्या	माइक्रोप्लान के अनुसार वनोपज उत्पादन की मात्रा		
			बांस (नो0टन में)	बल्ली (नग में)	जलाउ (घ0मी0 में)
1	2	3	4	5	6
1	सीधी	43	184.65	2330	48
2	चुरहट	57	125.05	20383	214
3	बहरी	48	18.81	28102	0
4	मझौली	11	0.58	1311	0
5	मड़वास	16	26.64	0	0
कुल योग वन मण्डल		175	355.73	52126	262

1.05 करोड़

सीधी जिले की ग्राम वन समितियों

की वनों से वार्षिक आय